

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।

पत्रांक 5209 / मीरजापुर / 15 दिनांक, मीरजापुर, जून, 4 2018।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय— जनपद मीरजापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 (वाराणसी-हनुमना सेक्शन) कि०मी० संख्या 49.500 से कि०मी० संख्या 140.200 तक के सुदृढीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे० आरक्षित एवं 113.6300 हे० संरक्षित कुल-131.0175 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा बाधक 10473 वृक्षों के पातन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव।

सन्दर्भ— आपका कार्यालय पत्रांक-5636 / मी०क्षे० / 33 दिनांक-02.06.2018।
महोदय,

जनपद मीरजापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 (वाराणसी-हनुमना सेक्शन) कि०मी० संख्या 49.500 से कि०मी० संख्या 140.200 तक के सुदृढीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे० आरक्षित एवं 113.6300 हे० संरक्षित कुल-131.0175 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा बाधक 10473 वृक्षों के पातन हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत अनुमति प्रस्ताव में आपके उपरोक्त सदर्थित पत्र द्वारा 6 बिन्दुओं पर उठायी गयी आपत्तियों का निवारण कर प्रस्ताव मूल में प्रेषित है।
संलग्नक—उपरोक्तानुसार प्रस्ताव-5 नग मय सी०डी०।

भवदीय,

(राकेश चौधरी)

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर।